संख्या–424 / 9–आ–6–2001–1006यू0सी0 / 99

प्रेषक,

दीन दयाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ, कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, बरेली,
गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, एवं मेरठ ।

आवास अनुभाग–6 लखनऊः दिनाँक– 24 मार्च, 2001

विषय : नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम–1976 के अन्तर्गत अतिरिक्त रिक्त घोषित भूमि से सम्बन्धित अभिलेखों की छाया प्रतियां कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण उ0प्र0 के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त अधिनियम के अनुरूप यथाधारा 8(4) का आदेश, धारा–9, धारा 10(1) व 10(3) व धारा 10(5) व 10(6) एवं राज्य सरकार के पक्ष में अमल दरामद (नामान्तरण) कब्जा दखल से सम्बन्धित अभिलेखों की छाया प्रतियां कराकर एक प्रति मूल अभिलेखों सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी के रिकार्ड रूम में रखने हेतु तथा एक प्रति निदेशालय व एक प्रति शासन में भेजी जायेगी एवं एक प्रति सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी। उक्त सम्बन्धित अभिलेखों पर होने वाले व्यय का भुगतान सम्बन्धित जिले के विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

अतएव कृपया इस संदर्भ में तत्काल अपने स्तर से सम्बन्धित जिले के सक्षम प्राधिकारी को भुगतान हेतु सूचित करें ताकि उक्त अभिलेखों की छाया प्रतियां तत्काल करायी जा सकें।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव

संख्या : 424(1) / 9–आ–6–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, नगर भूमि सीमारोपण, उ0 प्र0 को उनके पत्र संख्या 142 / तीन–4080 / 2000 दिनांक 26 फरवरी 2001 के संदर्भ में।
2. सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारियों को इस आशय से प्रेषित कि तत्काल सम्बन्धित अभिलेखों की छाया प्रतियां कराना सुनिश्चित करायें।

आज्ञा से,

दीन दयाल
संयुक्त सचिव